

कार्यालय- अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया,
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

क्रमांक 202 / भू-अर्जन / 2016

पथरिया, दिनांक 25/10/16

प्रति,

संचालक,

जनसंपर्क संचालनालय (विज्ञापन शाखा)

रायपुर (छ.ग.)

विषय:- आपसी सहमति से भूमि कय नीति-2016 के तहत प्रारूप 'क' का प्रकाशन बाबत।
महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत केवइया एनीकट तटबंध एवं पहुंच मार्ग निर्माण में प्रभावित
ग्राम-पेटूलकापा प.ह.नं. रा.नि.मं. व तहसील पथरिया, जिला-मुंगेली राजस्व प्र.कं.
01/अ-82/2012-13 का प्रारूप 'क' दिनांक 22.10.2016 आपके कार्यालय के वेबसाइट में
अपलोड किया जा रहा है। कृपया एक स्थानीय समाचार एवं एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार
पत्रों में प्रकाशित कर प्रकाशित मेटर की एक-एक प्रति इस कार्यालय एवं कलेक्टर मुंगेली को
भिजवाने की व्यवस्था करें।

सहपत्र-सूची

25/10/16
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

पृ.क्रमांक...../भू-अर्जन/2016

पथरिया, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. मुंगेली की ओर सादर पालनार्थ। कृपया वेबसाइट में अपलोड
कर सूचना कलेक्टर भू-अर्जन शाखा में देना सुनिश्चित करें।
3. उपखण्ड अधिकारी, पथरिया की ओर सादर सूचनार्थ।
4. तहसीलदार, पथरिया की ओर सादर सूचनार्थ।
5. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत.....

कृपया सूचना पटल पर चस्पा कर सार्वजनिक करें।

अनुविभागीय अधिकारी
एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया

कार्यालय— अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया,
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

— प्रारूप (क) —

राज्य शासन के विभाग/उपक्रम/संस्था जल संसाधन विभाग के केवइया एनीकट एवं पहुंच मार्ग निर्माण के लिए अर्जित ग्राम-पेटूलकापा प.ह.नं. रा.नि.मं. व तहसील पथरिया, जिला-मुंगेली की भूमि की आवश्यकता होने से राज्य शासन उपक्रम/संस्था निम्नांकित कृषक की भूमि कय करना चाहता है :-

कं.	कास्तकार का नाम, पिता/पति का नाम का सकूनत	ख.नं.	अर्जित रकबा	
			हेक्टर	एकड़
1.	श्री चिंतामणी पिता कृपाराम लोधी	217 / 2	0.085	0.21
	योग—	01	0.085	0.21

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
पथरिया, जिला - मुंगेली (छ.ग.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया

इतिनिधि—

1. श्रीमान कलेक्टर महोदय, मुंगेली की ओर सादर सूचनाएं।
2. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.डी. मुंगेली की ओर सादर सूचनाएं। कृपया वेबसाइट में अपलोड कर सूचना कलेक्टर भू-अर्जन विभाग की वेब साइट पर सुचारु रूप से करें।
3. उपखण्ड अधिकारी, पथरिया की ओर सादर सूचनाएं।
4. तहसीलदार, पथरिया की ओर सादर सूचनाएं।
5. सचिव/सचिव ग्राम पंचायत

कृपया सूचना पटल पर धरना कर सादर सूचना करें।